उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या–286 / तीन–2020–39(2) / 12टीसी
लखनऊ : दिनांक : 03 अप्रैल, 2020

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या–680 / तीन–2019 –39(2) / 2016 दिनॉक 04–11–2019 द्वारा वर्ष 2020 हेतु घोषित अवकाशों में दिनॉक 06 अप्रैल, 2020 (सोमवार) को महावीर जयन्ती तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2020 (शुक्रवार) को गुड फ्राईडे को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

2. कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों एवं गरीबों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभांश की धनराशि स्थानान्तरित की जानी है। ऐसी स्थिति में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश एवं समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के कोषागारों के साथ–साथ प्रदेश के समस्त बैंकों के लिये उक्त तिथि दिनांक 06 अप्रैल, 2020 तथा 10 अप्रैल, 2020 को घोषित अवकाश निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त तिथि को कोषागारों के साथ–साथ प्रदेश के समस्त बैंक सामान्य कार्य दिवसों की भाँति खुले रहेंगें। उक्त प्रस्तर 1 में उल्लिखित विज्ञप्ति दिनांक 04–11–2019 इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–286(1) / तीन–2020 / 12टीसी एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0
6– निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9– सचिवालय प्रशासन अनुभाग–3 (अधि0) उत्तर प्रदेश शासन।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

–2/

Scanned with CamScanner

11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

12– महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।

13– उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासन।

14– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

15– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

16– कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

17– तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

18– क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तराँचल, भारतीय रिजर्व बैक गोमतीनगर, लखनऊ।

Awasthi
3/4/2020

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner